

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4661

जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 मार्च, 2026 को दिया जाना है

मामलों का लंबित होना

4661. श्रीमती बाग मिताली:

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उच्चतम न्यायालय में संस्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद न्यायिक मामलों के लंबित रहने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

**विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)**

(क) से (ख) : राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, तारीख 16 मार्च 2026 तक भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों का विवरण इस प्रकार है:

क्र सं	न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
1.	उच्चतम न्यायालय	92,876
2.	उच्च न्यायालय	63,98,686

न्यायालयों में मामलों का लंबित रहना कई कारणों से होता है जिनमें पर्याप्त संख्या में न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की उपलब्धता के अतिरिक्त, कई अन्य कारक भी शामिल हैं। इन कारकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, मामले से जुड़े तथ्यों की जटिलता, साक्ष्यों की प्रकृति, विभिन्न हितधारकों (जैसे—अधिवक्ता, अन्वेषण एजेंसियाँ, साक्षी और वादी) का सहयोग, तथा भौतिक अवसंरचना और सहायक न्यायालयी कर्मचारियों की उपलब्धता आदि शामिल हैं।
